न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल

एस0सी0/एस0टी0 वाद सं0– 132/2025
भीमपुर थाना काण्ड संख्या– 128/2025

दिनांक: 08/04/2026

कारागीन अभियुक्त रंजीत कुमार मुखिया की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व से एक अन्य आपराधिक इतिहास है तथा उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल बनावटी एवं मनगढंत है तथा स्थानीय राजनीति एवं दुश्मनी के कारण उसे झुठा फंसाया गया है। दिनांक 02/10/25 की घटना को लेकर दिनांक 05/10/25 को प्राथमिकी दर्ज कराया गया है और इस विलंब का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप में धारा 109(1)ए 303(2) बी0एन0एस0 एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोपों को छोड़कर अन्य सभी आरोप जमानतीय प्रकृतिका है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 13/03/2026 से कारागीन है। प्रार्थी आवेदक सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध अधिवक्ता जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण मेहता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सूचक की हाजिरी भी दी गयी।

प्रस्तुत वाद सूचक केशव कुमार के आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 04 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2),109(1),303(2), 352, 351(2),3(5) BNS and 3(1)(r)(s)/3(2)(va) SC/ST Act के अन्तर्गत भीमपुर थाना काण्ड सं0 128/25 दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि वो दिनांक 02/10/25 को रात्रि करीब 11 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने दुर्गा मंदिर पर गया था। अचानक अभियुक्तगण जाति सूचक शब्द बमार नीच जाति कहकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। अभियुक्त कमल पाठक ने जान से मारने की नीयत से सूचक के गर्दन पर लाठी से मार कर जख्मी कर दिया। अभियुक्त रंजीत मुखिया उर्फ गिटु मुखिया के आदेश पर राजेश मुखिया ने जान से मारने की नीयत से सूचक के माथे पर रॉड से मारकर पूर्ण रूप से जख्मी कर दिया तथा सूचक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सूचक के गला से चांदी का लॉकेट 10 गरी का राजेश मुखिया छीन लिया एवं 5 गरी का चांदी का ब्रासलेट पंकज मुखिया छीन लिया था उसके पॉकेट से 2500 रू0 रंजीत मुखिया छीन लिया। सभी अभियुक्तगण कमल पाठक के कहने पर सूचक को बेहोशी हालात में जान मारने की नीयत से बगल के पोखर मे डूबाने के लिए ले जा रहा था। तब तक सूचक का चचेरा भाई आजाद कुमार आ गये और वो हल्ला करके सूचक के टोला के लोगों को बुलाये। फिर सभी सूचक को छोड़कर निकल गया। अभियुक्तगण जाते समय धमकी दिया कि साला बमार नीच आज बच गया आज नहीं तो कल जान से मार देंगे। तब सूचक का भाई 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दिया फिर पुलिस आयी और सूचक को आश्वासन दिया थाना आकर आवेदन दिजिए।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने एवं मारपीट करने का आरोप है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त रंजीत मुखिया के आदेश पर सह–अभियुक्त राजेश मुखिया द्वारा रॉड से सूचक के माथे पर मारकर जख्मी करने एवं पॉकेट से 2500 रू0 छीन लेने का विशिष्ट आरोप है। सूचक ने अपने पुनः बयान (पैरा 2) तथा अन्य साक्षियों ने अपने बयानों (पैरा– 6, 7) में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध काण्ड को सत्य पाया गया है (पैरा 20) । काण्ड दैनिकी में वर्णित जख्म प्रतिवेदन से भी घटना का समर्थन होता है (पैरा 24)। काण्ड दैनिकी की कंडिका 31 से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध इस काण्ड के अलावा एक अन्य आपराधिक मामले दर्ज है। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा वाद अभी अनुसंधानाधीन है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारित अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्त रंजीत कुमार मुखिया की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(दिलीप कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल